

१५/१/१८

अधिवक्ता क्षीणारण्ड अनु०। मरण में अधिवक्ता क्षीणारण्ड व क्षीणारण्ड को आयाज्य की ओर से बार-बार बर्बाये लणायी गयी, किन्तु इनकी ओर से कोई उपलब्ध नही हुआ।

इसके अतिरिक्त मरण में अधिवक्ता क्षीणारण्ड

की रसी. के लम्बन पेश करने हेतु सूचि में अनिर्दिष्ट अन्तर उदान दिने गये, किन्तु अधिवक्ता क्षीणारण्ड द्वारा पानबुस्त

राजस्य क्षीणारण्ड प्राधिकारी


अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

..... बनाम

किस्म मुकदमा मुकदमा नम्बर सन्.....

सेवामें.

श्री

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की में जारी
	<p>कर आदिनांठ तह न्यायालय आदेशों की तहमील नही की गयी। लिहाजा उक्त अपील अदम्य हाजरी। पैरवी व अदम्य तहमील में खारिज की जाती हैं। फत्रावली कुंखन सुमार दोहर बाद तहमील लंघ्या से डम दोहर हाथिके दफतर हो।</p> <p style="text-align: center;"> राजस्व अपील प्राधिकारी पाली</p>	